**मध्यस्थ अधिनियम, 1940 की धारा 20(3) के अधीन नोटिस**

बंगाल साधारण आरम्भिक सिविल अधिकारिता में विलियम फोर्ट में उच्च न्यायालय में

(हक)

माध्यस्थम अधिनियम, 1940 के मामले में

तथा

माध्यस्थम करार, दिनांकित ..........................................

के बीच

**अबक**  ........ वादी

(नाम, वर्णन, तथा निवास स्थान)

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

(नाम, वर्णन, तथा निवास स्थान)

सेवा में,

ऊपर नामित किया गया प्रतिवादी .................................... 'यतः ऊपर नामित किये गये वादी ने इस आदेश के लिए उस आवेदनपत्र को प्रस्तुत किया है जिसको वाद सं. .................................... सन् ................................ के रूप में संख्यांकित और रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका है कि माध्यस्थम करार दिनांकित .............................. वादी तथा आपके प्रतिवादी द्वारा तथा उनके बीच किया गया, दाखिल किया जाय; आपसे यह प्रदर्शित करने के लिए दोपहर के पूर्व में तारीख .......................... बजे न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए इस नोटिस के साथ तामील किया जाने पर माध्यस्थम अधिनियम, 1940 की धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा अपेक्षा की जाती है कि क्यों कथित करार नहीं दाखिल किया जाना चाहिए।

रजिस्ट्रार/मालिक

तारीख -